

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जून 2022—ज्येष्ठ 16, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र. 73-एफ-1-164-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद दमोह, जिला दमोह के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 443-एफ-01-164-2020-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधित करते हुये नगर पालिका परिषद दमोह जिला दमोह के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	08	1. वार्ड कं. 34 आजाद वार्ड 2. वार्ड कं. 38 कस्तूरबा वार्ड 3. वार्ड कं. 16 जगजीवन राम वार्ड 4. वार्ड कं. 35 डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 5. वार्ड कं. 33 किदवई वार्ड 6. वार्ड कं. 19 वाल्मिकी वार्ड 7. वार्ड कं. 20 अंबेडकर वार्ड 8. वार्ड कं. 21 भरत वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1. वार्ड कं. 05 मिशन वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	1. वार्ड कं. 01 सिविल वार्ड 01 2. वार्ड कं. 06 छत्रसाल वार्ड 3. वार्ड कं. 07 रानी अवंतीवाई वार्ड 4. वार्ड कं. 13 सरदार पटेल वार्ड 5. वार्ड कं. 24 शिवाजी वार्ड 6. वार्ड कं. 25 असाटी वार्ड 7. वार्ड कं. 31 संत विनोवा भावे वार्ड 8. वार्ड कं. 17 महात्मा गांधी वार्ड 9. वार्ड कं. 22 महावीर वार्ड 10. वार्ड कं. 29 नरसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति के के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	04	1. वार्ड कं. 34 आजाद वार्ड 2. वार्ड कं. 19 वाल्मिकी वार्ड 3. वार्ड कं. 20 अंबेडकर वार्ड 4. वार्ड कं. 33 किदवई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	05	1. वार्ड कं. 01 सिविल वार्ड 01 2. वार्ड कं. 06 छत्रसाल वार्ड 3. वार्ड कं. 25 असाटी वार्ड 4. वार्ड कं. 29 नरसिंह वार्ड 5. वार्ड कं. 31 संत विनोवा भावे वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	10	1. वार्ड कं. 02 रानी दुर्गावती वार्ड 2. वार्ड कं. 09 तुलसीदास वार्ड 3. वार्ड कं. 15 शहीद प्रेमचंद वार्ड 4. वार्ड कं. 23 गोविंद वल्लभपंत वार्ड 5. वार्ड कं. 26 गुरुगोविन्द सिंह वार्ड 6. वार्ड कं. 28 गौरीशंकर वार्ड 7. वार्ड कं. 30 जयप्रकाश नारायण वार्ड 8. वार्ड कं. 32 सुभाष वार्ड 9. वार्ड कं. 37 साकेत वार्ड 10. वार्ड कं. 39 पृथ्वीराज वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

क्र. एफ-1-164-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधि. क्रमांक 73-एफ-1-164-2020-अठारह-3, दिनांक 6 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2022

(Revised Notification)

Noti. No ~~23~~----- F1-164/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Palika Parishad Damoh , District Damoh was published vide notification No 443 F 01-164/2020/18-3 Bhopal dated 28 November 2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP(Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of words of Nagar Palika Parishad Damoh Dist Damoh is published as under

No.	Reserved ward for Category.	Total Reserved Ward's	Reserved wards Name and Number
1	2	3	4
1	No of wards Reserved For Schedule Caste	08	1. Ward No.34 Aajad Ward 2. Ward No.38 Kasturba Ward 3. Ward No.16 Jagjeevan Ram Ward 4. Ward No.35 Dr. Rajendra Prasad 5. Ward No.33 Kidwai Wrad 6. Ward No.19 Balmeeki ward 7. Ward No.20 Ambedkar Ward 8. Ward No.21 Bharat Ward
2	No. of wards Reserved For Schedule Tribe	01	1. Ward No. 05 Mishan Ward
3	No. of wards Reserved For other Backward Classes	10	1. Ward No.01 Civil Ward 01 2. Ward No.06 Chhatrasal Ward 3. Ward No. 07 Rani Awantibai Ward 4. Ward No.13 Sardar Patel Ward 5. Ward No.24 Shivaji Ward 6. Ward No. 25 Asati Ward 7. Ward No.31 Sant Vinoba Bhave Ward 8. Ward No. 17 Mahatma Gandhi Ward 9. Ward No.22 Mahavir Ward 10.Ward No.29 Narsingh Ward

4	No of wards Reserved For Schedule Caste's (Women)	04	1. Ward No.34 Aajad Ward 2. Ward No. 19 Balmeeki Ward 3. Ward No.20 Ambedkar Ward 4. Ward No.33 Kidwai Wrad
5	No. of wards Reserved For Schedule Tribe (Women),	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved For other Backward Classes(Women)	05	1. Ward No. 01 Civil Ward 01 2. Ward No.06 Chhatrasal Ward 3. Ward No.25 Asati Ward 4. Ward No. 29 Narsingh Ward 5. Ward No. 31 Sant Vinoba Bhave Ward
7	7 No. of wards Reserved for (otherfrom S.No. 4, 5 & 6) Women	10	1. Ward No.02 Rani Durgawati Ward 2. Ward No. 09 Tulsidas Ward 3. Ward No.15 Shaheed Premchand Ward 4. Ward No. 23 Govind Vallabh Pant Ward 5. Ward No. 26 Guru Govind Singh Ward 6. Ward No.28 Gorishankar Ward 7. Ward No.30 Jayprakash Narayan Ward 8. Ward No.32 Subhash Ward 9. Ward No.37 Saket Ward 10. Ward No.39 Prathviraj Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक 73.....एफ 01-166/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद भैसोंदा जिला मंदसौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 369 एफ-01-166/2020/18-3 दिनांक 02 नवम्बर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर परिषद भैसोंदा जिला मंदसौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र०	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	01- वार्ड क्रमांक 06, लोकमान्य तिलक वार्ड 02- वार्ड क्रमांक 07, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	01- वार्ड क्रमांक 03, सरदार पटेल वार्ड 02- वार्ड क्रमांक 04, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 03- वार्ड क्रमांक 05, महाराणा प्रताप वार्ड 04- वार्ड क्रमांक 12, मारुति नगर वार्ड 05- वार्ड क्रमांक 15, अम्बिका तिरुपति नगर वार्ड

4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	01- वार्ड क्रमांक 07, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	01- वार्ड क्रमांक 03, सरदार पटेल वार्ड 02- वार्ड क्रमांक 12, मारुति नगर वार्ड 03- वार्ड क्रमांक 15, अम्बिका तिरुपति नगर वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4,5, व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	01- वार्ड क्रमांक 01, रगसपुरिया वार्ड 02- वार्ड क्रमांक 08, सरदार भगतसिंह वार्ड 03- वार्ड क्रमांक 10, राधाकृष्ण वार्ड 04- वार्ड क्रमांक 14, शिक्षक नगर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

क्र. एफ-1-166-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधि. क्रमांक 73-एफ-1-166-2020-अठारह-3, दिनांक 6 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2022

(Revised Notification)

Not-no73.....F1-166/2020/18-3 , In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 Of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation Of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad BHESODA , District Mandsaur Was published Vide Notification No 369 – F-1-166/2020/18-3 , Date 02.11.2020

In Compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the Notification as above , With respect to reservation of words of Nagar Parishd BHESODA Dist. Mandsaur is Published as under :-

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved wards's Name and Number
1	2	3	4
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	01-Ward No. 06- Lokmany Tilak ward 02-Ward No.07-Dr. Bhim Rao Ambedker ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	00	-
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	05	01-Ward No. 03 ,Sardar Patel Ward 02-Ward No. 04 , Pt. Deendayal Upadhyay ward 03-Ward No. 05, Maharana Pratap Ward 04-Ward No. 12, Maruti nagar Ward 05-Ward No. 15, Ambika Tirupati nagar ward

4	No. of wards Reserved for Schedule Caste 's (Women)	01	01-Ward No.07-Dr. Bhimrao Ambedkar ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	00	-
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	03	01-Ward No. 03 ,Sardar Patel Ward
			02-Ward No. 12, Maruti nagar Ward
			03-Ward No. 15, , Ambika Tirupati nagar ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	04	01-Ward No. 01 Ragaspuriya Ward
			02-Ward No. 08 Sardar Bhagat Singh Ward
			03-Ward No. 10 Radhakrishna Ward
			04-Ward no. 14 Shikshak Nagar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022
(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक 72/.....एफ 01-396/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद डभौरा, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 417 एफ-01-396/2020/18-3 दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर परिषद डभौरा, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है।

क्र०	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति वार्डों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 06, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08, इन्दिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 13, रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 07, भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 09, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 10, डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 14, नरसिंह दास वार्ड
4	अनुसूचित जाति वार्डों के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 06, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 07, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	00	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 03, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15, सरदार पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

क्र. एफ-1-396-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधि. क्रमांक 73-एफ-1-396-2020-अठारह-3, दिनांक 6 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2022

(Revised Notification)

Not. No. ~~72~~.... F1-396/2020/18-3, in exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for **Nagar Parishad Dabhaura**, District Rewa was published vide notification No. 417-F-01-396/2020/18-3 Dated 11 November 2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of Wards of **Nagar Parishad Dabhaura**, District Rewa is published as under.

No.	Reserved ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 06, Dr. Ambedkar Ward (2) Ward No. 08, Indira Gandhi Ward
2	No. of Wards Reserved for Schedule Tribal	04	(1) Ward No. 13, Rani Durgawati Ward (2) Ward No. 07, Bhagat Singh Ward (3) Ward No. 09, Chandrashekhar Azad Ward (4) Ward No. 10, Dr. Rammanohar Lohiya Ward
3	No. of wards Reserved for Other backward Classes	01	(1) Ward No. 14, Narsingh Das Ward
4	No. of Wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 06, Dr. Ambedkar Ward
5	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	02	(1) Ward No. 07, Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 09, Chandrashekhar Azad Ward
6	No. of Wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	00	Nil
7	No. of Ward Reserved for (Other from S. No. 4, 5, & 6) women	04	(1) Ward No. 03, Subhashchandra Bose Ward (2) Ward No. 11, Maharani Laxmibai Ward (3) Ward No. 12, Mahatma Gandhi Ward (4) Ward No. 15, Sardar Patel Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक...एफ 1-413/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मानपुर, जिला उमरिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 455-एफ 1-413/2020/18-3 दिनांक 02 दिसम्बर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद मानपुर, जिला उमरिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 01 सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 04 तिलक वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 10 चरण गंगा से शिवघाट वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 03 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 14 चतुर्भुज वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 15 सोनभद्र वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 07-केशरीनंदन वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 04- तिलक वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 10- चरण गंगा से शिवघाट वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 03- महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 15- सोनभद्र वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	0	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 02- भड़ारी गंज वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08- आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 09- इंदिरा कालोनी वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 12- निषाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2022

क्र. एफ-1-413-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधि. क्रमांक 73-एफ-1-413-2020-अठारह-3, दिनांक 6 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2022
(Revised Notification)

Not. No. 73 F 1-413/2020/18-3 in exercise of the powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribes Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of Ward for **Nagar Parishad Manpur** District Umariya was published vide Notification no.455 F 1-413/2020/18-3 Date 02 December 2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the Notification as above, with respect to reservation of wards of **Nagar Parishad Manpur** District Umariya is published as under:-

No.	reservation wards For Category	Total wards	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards reserved for Scheduled Castes	3	(1) Ward No. 01, Subhash Ward (2) Ward No. 04, Tilak Ward (3) Ward No.10, Charan Ganga to Shiv Ghat ward
2	No. of wards reserved for Schedule Tribe	3	(1) Ward No. 03, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 14, Chaturbhuj Ward (3) Ward No. 15, Sonbhadra Ward
3	No. of wards reserved for Other Backward Caste	1	(1) Ward No. 07-
4	No. of wards reserved for Scheduled Caste's (Women)	2	(1) Ward No. 04, Tilak Ward (2) Ward No.10, Charan Ganga to Shiv Ghat ward
5	No. of wards reserved for Scheduled Tribe (Women)	2	(1) Ward No. 03, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 15, Sonbhadra Ward
6	No. of wards reserved for Other Backward Caste(Women)	0	Nil
7	No. of wards reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	4	(1) Ward No. 02, Bhadari Ganj Ward (2) Ward No. 08, Azad Ward (3) Ward No. 09, Indra colony Ward (4) Ward No. 12, Nishad ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.